न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः–149 / 2021 निर्णय दिनांक :– 07.10.2022

उनवानी अपील :

1. कृष्णा कंवर पत्नी स्व० बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह जाति राजपूत निवासी टोकरावास जिला टोंक राज०
2. दुर्गेश कंवर पुत्री स्व0 बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह जाति राजपूत निवासी टोकरावास तहसील जिला टोंक राज०

–अपीलांटस–

बनाम

1. ग्राम पंचायतम टोकरावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक
3. किशना कंवर पुत्री शम्भु सिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा राज0 हाल निवासी टोकरावास दूनी जिला–टोंक राज0

–रेस्पोडेंटस–

अपील विरूद्ध आदेश सरपंच पंचायत टोकरावास दिनांक 08.10.2012

नामान्तकरण संख्या 295

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस के पति व पिता बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0 एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खाता संख्या 102 खसरा नम्बर 268 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 270 रकबा 0.81 है0 खसरा नम्बर 271 रकबा 0.06 खसरा नम्बर 272 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 274 रकबा 2.14 कुल किता–5, रकबा 3.55 है0 वाके ग्राम टोकरावास बूंदी पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित जिसमे अपीलांटस के पिता व पति का 1/ 5 हिस्सा तथा इसी प्रकार अपीलांटस पति व पिता बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी टोकरावास तहसील जिला टोंक राज0 अन्य सहखातेदारान खातेदारी कब्जे काश्त आराजी खाता संख्या 81 खसरा 269 रकबा 0. 07 वाके ग्राम टोकरावास पटवार हल्का टोकरावास तहसील दूनी जिला टोंक राज0 मे स्थित है जिसमे अपीलांटस के पति व पिता का 1/10 हिस्सा है। अपीलांट पति व पिता बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह मृत्यु होने के बाद उनका फोती नामांतकरण 295 दिनांक 08. 10.2012 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खोला गया जिसमे अपीलांट के अलावा किशना कंवर

का नाम भी अंकित कर दिया गया जो पूर्ण रूप गलत है जबकि अपीलांटस पति व पिता द्वारा रेस्पोडेंट 3 किशना रखेल के रूप मे रख रखा था तथा किशना कंवर अपीलांट पति व पिता की पत्नि नही थी और ना ही उसके साथ सात फेरे थे। अपीलांट संख्या 1 ही के बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह की विवाहिता है तथा अपीलांट संख्या 1 के पति ने अपने जीवन काल मे उसे तलाक नही दिया और ना ही रेस्पोडेंट संख्या 3 से कभी विधिवत विवाह किया उसके बावजूद रेस्पोडेंट 3 का नाम नामांतकरण गलत अंकित किया है जिससे उत्पीड़ित यह अपील कई कारणो निम्न रूप से पेश हैः– अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत टोकरावास का आदेश विधि विधान तथा तथ्यो के विपरित है इस कारण से निरस्त किये जाने योग्य है। सरपंच ग्राम पंचायत टोकरावास ने नामांतकरण भरने से पूर्व मोके पर जाकर मृतक बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह के वारिसान के नाम बाबत कोई जांच नहीं की और ना ही आस पास के पड़ोसियों के बयान लिये गये इस कारण उक्त नामांतकरण निरस्त किये जाने योग्य है । मृतक बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत टोकरावास ने नामांतकरण तस्दीक करनें से पूर्व अपीलांटस से किशना कंवर के बारे में ना तो पूछताछ की और ना ही किशना कंवर के पत्नि होने संबंधी कोई दस्तावेज प्राप्त किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 का नाम बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह की पत्नि के रूप मे गलत अंकित कर दिया। जबकि अपीलांट संख्या 1 मृतक बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह की विवाहिता पत्नि है तथा अपीलांट संख्या 2 जाइन्दा पुत्री है इस बात पर भी ध्यान नही देकर कानूनी भूल की है। दिनांक 15.04.2021 को जब अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड से उक्त आराजीयात की नकल प्राप्त की तब जानकारी हुई कि रेस्पोडेंट संख्या 3 किशना कंवर का नाम राजस्व रिकार्ड मे बंकट सिंह उर्फ मुकुट सिंह की पत्नि के रूप मे गलत अंकित हो गया है जिसे विलोपित किया जाना आवश्यक है। अन्य सहखातेदार के विरूद्ध कोई रिलिफ नही चाही गयी है। इसलिये अपील में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट द्वारा यदि अपील प्रस्तुत करने मे देरी हुई हो तो उसको क्षमा किये जाने के लिये अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर सरपंच ग्राम पंचायत टोकरावास जिला टोंक द्वारा भरा गया नामांतकरण संख्या 295 दिनांक 08.10.2012 को निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलांट संख्या 1 व 2 के नाम से पुनः नामांतकरण भरे जाने का आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट की तलबी जारी की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की अपील के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होने के कारण इनके जवाब की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण रजिस्टर ग्रम टोकरावास बून्दी पटवार हल्का टोकरावास के नामान्तकरण संख्या 295 के कॉलम संख्या 7 में बंकट सिंह पि. भगवान सिंह व मुकुट सिंह पुत्र भगवान सिंह का अंकन है और बंकट सिंह/मुकुट सिंह के फोत होने के बाद कॉलम संख्या 9 में नामांतकरण खोलते समय बंकट सिंह/मुकुट सिंह के वारिसान में दुर्गेश कंवर पुत्री कृष्णा कंवर, किशना कंवर पत्नीयां स्व. बंकट सिंह/मुकुट सिंह का अंकन किया है। कॉलम संख्या 9 की प्रविष्टि से स्पष्ट है कि बंकट सिंह/मुकुट सिंह के वारिसो के नाम में पत्नीयां कृष्णा कंवर व किशना कंवर के नाम का अंकन है। जबकि अपीलान्ट के अनुसार बंकट सिंह/मुकुट सिंह के एक ही पत्नी थी। किशना कंवर केवल रखेल के रूप में है। इस बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । इस बाबत उक्त दोनो रेस्पोडेन्ट को कोई आपति होती तो न्यायालय मे आकर उज्र पेश करते । प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत टोकरावास द्वारा बिना विचार व जांच परख किये बंकट सिंह/मुकुट सिंह की पत्नी के रूप में दोनो नामो को दर्ज कर दिया जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड में भी पत्नीयों के रूप में दो नाम चले आ रहे है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 08.10.2012 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दूनी को यह नामान्तकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि बंकट सिंह/मुकुट सिंह के विधिक वारिसान की जांच, किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में, सही पाये जाने पर अपीलान्ट के नाम नियमानुसार एवं विधि अनुसार नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
देवली